

अभिवचन पत्र

प्रपत्र "अ"

(केवल शासकीय महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

में _____ पुत्र / पुत्री श्री _____

उम्र _____ वर्तमान पता _____ आवेदन संस्था

_____ में _____ के पद पर कार्यरत
हूँ तथा संस्था की ओर से यह अभिवचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ (शासकीय निकाय का अध्यक्ष / सचिव /
कॉलेज कोड 28 में चयनित प्राचार्य अधिकृत है)।

उपरोक्त संस्था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में सत्र _____ से _____ पाठ्यक्रम की
संबद्धता / निरंतरता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस आवेदन के संदर्भ में संस्था की ओर से मैं निम्नानुसार

अभिवचन देता हूँ:-

1. आवेदित पाठ्यक्रम को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व संस्था द्वारा किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित समस्त नियमों / निर्देशों का पालन किया जायेगा।
3. परिनियम 27 एवं 28 द्वारा निर्धारित (शासकीय महाविद्यालयों हेतु लागू) समस्त मापदंडों की पूर्ति करने का पूर्ण दायित्व आवेदक संस्था का है।
4. यदि आवेदन पत्र जमा करने की उपरांत, विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क आदि की जमा की गयी राशि में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो वह तत्काल जमा करवाई जायेगी।
5. आवेदन प्रपत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य / भ्रामक पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही मान्य होगी, तथा उसकी संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर व सील

टीप: यह अभिवचन पत्र रु. 100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करें।

अभिवचन पत्र

प्रपत्र "ब"

(केवल नवीन अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

में _____ पुत्र / पुत्री श्री _____

उम्र _____ वर्तमान पता _____ आवेदन संस्था

_____ में _____ के पद पर कार्यरत

हूँ तथा संस्था की ओर से यह अभिवचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ (शासकीय निकाय का अध्यक्ष / सचिव / कॉलेज कोड 28 में चयनित प्राचार्य अधिकृत है)।

उपरोक्त संस्था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में सत्र _____ से _____ पाठ्यक्रम की

संबद्धता / निरंतरता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस आवेदन के संदर्भ में संस्था की ओर से मैं निम्नानुसार

अभिवचन देता हूँ:-

1. परिनियम 27 के उपबंधों के अनुसार, महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त होने के उपरांत 3 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व शासी निकाय का गठन किया जायेगा एवं Endowment Fund की राशि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा की जायेगी।
2. परिनियम 28 के उपबंधों की अनुसार, समस्त शिक्षकीय पदों पर वि. वि. द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति, संबद्धता प्राप्त के 1 माह की अवधि में की जायेगी। अभी प्राचार्य तथा शिक्षकीय पदों पर कार्य हेतु अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी सूची आवेदन के साथ संलग्न है।
3. आवेदित पाठ्यक्रम को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व संस्था द्वारा किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित समस्त नियमों / निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. परिनियम क्रमांक 27 / 28 में निर्धारित समस्त मापदंडों की पूर्ति करने का पूर्ण दायित्व आवेदक संस्था का है।
6. यदि आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत, विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क आदि की जमा की गयी राशि में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो वह तत्काल जमा करवाई जायेगी।
7. आवेदन प्रपत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य / भ्रामक पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही मान्य होगी, तथा उसकी संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर व सील

टीप: यह अभिवचन पत्र रु. 100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करें।

अभिवचन पत्र

प्रपत्र "स"

(केवल पूर्व से संबद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

में _____ पुत्र / पुत्री श्री _____

उम्र _____ वर्तमान पता _____ आवेदन संस्था

_____ में _____ के पद पर कार्यरत

हूँ तथा संस्था की ओर से यह अभिवचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ (शासकीय निकाय का अध्यक्ष / सचिव / कॉलेज कोड 28 में चयनित प्राचार्य अधिकृत है)।

उपरोक्त संस्था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में सत्र _____ से _____ पाठ्यक्रम की

संबद्धता / निरंतरता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस आवेदन के संदर्भ में संस्था की ओर से मैं निम्नानुसार

अभिवचन देता हूँ:-

1. परिनियम 27 के उपबंधों के अनुसार, महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त होने के उपरांत 3 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व शासी निकाय का गठन किया जायेगा एवं Endowment Fund की राशि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा की जायेगी।
2. परिनियम 28 के उपबंधों की अनुसार, समस्त शिक्षकीय पदों पर वि. वि. द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति, संबद्धता प्राप्त के 1 माह की अवधि में की जायेगी। अभी प्राचार्य तथा शिक्षकीय पदों पर कार्य हेतु अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी सूची आवेदन के साथ संलग्न है।
3. आवेदित पाठ्यक्रम को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व संस्था द्वारा किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित समस्त नियमों / निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. परिनियम क्रमांक 27 / 28 में निर्धारित समस्त मापदंडों की पूर्ति करने का पूर्ण दायित्व आवेदक संस्था का है।
6. यदि आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत, विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क आदि की जमा की गयी राशि में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो वह तत्काल जमा करवाई जायेगी।
7. आवेदन प्रपत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य / भ्रामक पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही मान्य होगी, तथा उसकी संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर व सील

टीप: यह अभिवचन पत्र रु. 100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करें।